सत्यमेव जयते	**राजस्थान राजपत्र** **विशेषांक**	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**
	ज्येष्ठ 11, मंगलवार, *शाके* 1943–जून 01, 2021 *Jyaistha 11, Tuesday, Saka 1943- June 01, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 01, 2021

एस.ओ.234-304 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 और 27.07.2020, जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 234 दिनांक 03.05.2020 और एस.ओ. संख्या 304 दिनांक 27.07.2020 में प्रकाशित हुई है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 6, 6ए व 7 व उनकी प्रविष्ठियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

“

6.	अगर कोई विवाह संबंधी समारोह दिनांक 01.06.2021 से 30.06.2021 की अवधि तक ऐसे किसी स्थान में जो विवाह स्थल, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला इत्यादि में आयोजित करेगा या विवाह का आयोजन वर या वधू के घर में किया जाता है परन्तु उसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-intimation:MARRIAGE व 181 हैल्प लाईन नम्बर पर नही देता है या सामाजिक दूरी नही बनाये जाने की स्थिति में, बैण्ड-बाजा या हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति के सम्मिलित होने पर या हलवाई या केटरिंग से होम डिलीवरी प्राप्त करने पर, फेस मास्क या फेस कवर का उपयोग नही करने पर, बारात के आवागमन पर बस, ऑटो, टेम्पो, टेक्ट्रर, जीप का उपयोग करने पर या वीडियोग्रॉफी उपखण्ड मजिस्ट्रेट को उपलब्ध नही करवाने पर एवं सामूहिक भोज का आयोजन करने पर।	1,00,000/- (एक लाख)

6ए.	किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर, अधिभोगी द्वारा विनियम 7ए के उल्लंघन पर।	1,00,000/- (एक लाख)
7.	विवाह समारोह जिसमें ग्यारह से अधिक व्यक्ति होने पर।	1,00,000/- (एक लाख)

[संख्या प.9(16)गृह-5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

रामनिवास मेहता,

संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.